न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 09/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025/84

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
चन्द्रकंवर पत्नी स्व0 मोतीसिंह,जाति–राजपूत,निवासी–पुलिया के पास,वार्ड नम्बर 12,कसुम्बी जाखला,तहसील–लाडनूँ ,जिला नागौर हाल जिला डीडवाना–कुचामन का आम मुख्त्यार श्री देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति–राजपूत,निवासी–सज्जन बाग गरूद्वारा के पास,पुष्कर,तहसील–पुष्कर,जिला–अजमेर।		1. रामूराम पुत्र जैसाराम, जाति–जाट निवासी–कसुम्बी जाखला, तहसील–लाडनूँ,पुलिस थाना –जसवन्तगढ़, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. राज्य सरकार जरिये एसएचओ लोक अभियोजक,उपखण्ड अधिकारी,जायल। 3. उपखण्ड अधिकारी,जायल ।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल।
2. अप्रार्थी 1 की ओर से वकील श्री अयूब खान कायमखानी व श्री शेखखान खोखर।
3. अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: आदेश :: दिनांक–18.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 सी.आर.पी.सी. पेश कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल में विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना–पत्र धारा 145(5)सीआरपीसी अन्वान सरकार बनाम मोतीसिंह वगैराह प्रकरण संख्या111/2016(01/2020) की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से आममुख्त्यार श्री राजेन्द्र प्रसाद का वकालतनामा वकील श्री अयूब खान कायमखानी ने पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण पर बहस समायत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी,जायल के न्यायालय में धारा 145(5) सीआरपीसी का आवेदन सरकार बनाम मोतीसिंह वगैराह वर्तमान में विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 का स्वर्गवास हो गया हैं तथा उनके उतराधिकारी में उनकी पत्नी चन्द्रकंवर वगैराह हैं जिनकी ओर से आममुख्त्यार श्री देवेन्द्रसिंह नियुक्त होने से उनके द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत् मुन्तकिल श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील प्रार्थी ने यह तर्क दिया कि विवादित जायगा ग्राम कसुम्बी जाखला के खसरा नम्बर 7 रकबा 21.09 बीघा का भाग हैं,जो कि खसरा नम्बर 7 के पूर्व खातेदार रूपसिंह पुत्र रघुनाथसिंह के कब्जा काश्त की भूमि रही हैं। यह भूमि मोतीसिंह व उसके उत्तराधिकारियों के ही लम्बे समय से कब्जा काश्त व खातेदारी की हैं। इस बात के विवाद को लेकर प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 2 रामूराम द्वारा विधि विरूद्व कार्यवाही करवाकर उपखण्ड अधिकारी,लाडनूं से उक्त खसरा नम्बर की भूमि को कुर्क करवाकर रिसीवर के कब्जे में लेने के आदेश दिलवाये गये हैं तब से लेकर आज तक भूमि रिसीवर के कब्जे में हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दफा 145(5) सीआरपीसी के तहत जांचाधीन अवस्था में विचाराधीन हैं। उपखण्ड अधिकारी,जायल इस प्रकरण में नियमानुसार एवं समुचित कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं तथा इस प्रकरण के मोतीसिंह व उसके उत्तराधिकारियों के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से प्रकरण का निस्तारण करने पर तुले हुए हैं। उपखण्ड अधिकारी,जायल प्रकरण के गैर सायल रामूराम पुत्र जैसाराम से मिलावट कर चुके हैं जिसका आभास कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी रामूराम के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी,जायल) के चेम्बर में आते जाते हुए देखा गया हैं,तब हुआ। इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी पत्रावली में कोई आर्डरशीट लिखे बिना ही अपने मनमाने तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं तथा पूर्व में भी थानाधिकारी से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट विधि विरूद्व तरीके से मंगवाकर उसकी जानकारी प्रार्थीया के अधिवक्ता को दिये बगैर ही इस बाबत् आदेशिका में लिखा गया हैं। जबकि वर्ष 2020 में मंगवाई गई रिपोर्ट पर अप्रार्थी मोतीसिंह द्वारा पेश की गई आपत्तियां का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया हैं। इस प्रकरण में प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा समुचित तारीख पेशी मांगे जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नहीं दी जाती हैं तथा उपखण्ड अधिकारी इस पत्रावली को हमेशा अपने चेम्बर में ही रखते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 रामुराम का पुत्र राजेन्द्र प्रसाद व उसके वकील तथा कोर्ट का रीडर व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली को दिनांक 25.03.2025 को उपखण्ड अधिकारी,जायल के चेम्बर में लेकर ही बैठे थे तथा दिनांक 28.03.2025 को प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 मोतीसिंह इत्यादि की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र को लेकर कब्जा का निर्णय करने के लिए खारिज करके धारा 145(5)सीआरपीसी के प्रार्थना–पत्र पर अंतिम बहस के लिए तारीख निर्धारित मनमुताबित नियत की गई हैं,जबकि प्रकरण में पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना–पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय एवं आदेश नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी रामूराम व उसके लड़के से इस प्रकरण में मिलावट किये जाने के कारण पीठासीन अधिकारी कोर्ट की कार्यवाही के दौरान यह कह चुके हैं कि अब कोई लड़ाई झगड़ा शेष नहीं हैं तथा जमीन को कुर्क करने का कोई कारण नहीं हैं। इस प्रकार के मौखिक तथ्य कोर्ट में पीठासीन अधिकारी को कहने के कोई अधिकार नहीं हैं फिर भी यह तथ्य कहने से पीठासीन अधिकारी की इस प्रकरण के प्रति मंशा स्पष्ट हो चुकी हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह जाहिर हैं कि उपखण्ड अधिकारी,जायल इस प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में संबंधित पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात् ही प्रकरण में समुचित विधिक निर्णय पारित किया जाना चाहिऐ परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई वैधानिक कार्यवाही इस प्रकरण में नहीं की जा रही हैं तथा मनचाहे तरीके से प्रकरण का निस्तारण करना चाहती हैं। इस कारण इस प्रकरण में प्रार्थी चन्द्रकंवर को उपखण्ड अधिकारी,जायल से न्यायोचित निर्णय की कोई उम्मीद नहीं हैं एवं न ही कोई संभावना हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि इस प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण की विवादित भूमि कसुम्बी तहसील–लाडनूं,जिला डीडवाना–कुचामन में हैं तथा प्रकरण

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जायल उपखण्ड अधिकारी जो जिला नागौर में हैं के यहां लम्बित हैं,ऐसी स्थिति में भी न्यायाहित में भी उपखण्ड अधिकारी जायल समुचित न्याय तथा आदेश पारित करने में सक्षम नहीं हैं इस कारण इस प्रकरण को समुचित एवं न्यायोचित न्याय किया जा सके,प्रकरण को संभागीय आयुक्त महोदय के पास ट्रांसफर किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित हैं अन्यथा इस प्रकरण की पत्रावली श्रीमान् द्वारा तलब कर उचित एवं न्यायोचित आदेश पारित किया जावें विकल्प में उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली को अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 का बहस में कथन हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल में विचाराधीन प्रकरण संख्या 111/2016(01/2020) अन्वान सरकार बनाम मोतीसिंह व अन्य में विधिक कार्यवाही की जा रही हैं। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत कार्यवाही होते–होते प्रकरण निस्तारण की स्टेज पर आता हैं या फिर न्यायालय द्वारा प्रभावी नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं तो प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से अनावश्यक आवेदन पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। यह मूल प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी,लाडनूं के न्यायालय में लम्बित था उस समय विभिन्न प्रकार के आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाये जाकर इस प्रकरण को उस न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी,जायल में ट्रान्सफर करवा लिया तथा यह प्रकरण सन् 2020 में ट्रान्सफर होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ हैं। मूल रूप से प्रकरण सन् 2016 का हैं इसलिए प्रकरण पुराना होने से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार के पुराने प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं तो प्रकरण को ओर लम्बा करने की नियत से यह ओर ट्रान्सफर प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया ताकि प्रकरण में कोई विधिक कार्यवाही नहीं होकर प्रकरण भिन्न–भिन्न न्यायालयों में लम्बित रहता रहे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर एवं हमारे विरूद्व इस प्रार्थना–पत्र में झूठे आरोप लगाये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 एवं उनंके पुत्र न तो पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में इस प्रकरण को लेकर कभी गये हैं एवं न ही ऐसे कोई तथ्य पेश हुऐ हैं। केवल मात्र झूठे आरोप लगाये जाकर प्रकरण को लम्बित करना चाहते हैं,जो न्याय की परिभाषा में नहीं आता हैं। हम इस प्रकरण का विधिक निस्तारण ही चाहते हैं। पत्रावली को बार–बार अन्य न्यायालयों में ट्रान्सफर करने पर हमें वित्तिय भार पड़ेगा साथ ही न्याय में भी विलम्ब होगा। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील प्रार्थी ने पुनः जबाब बहस में यह कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा हमारे इस प्रार्थना–पत्र का जबाब तक प्रस्तुत नहीं किया हैं,जिससे पत्रावली ट्रान्सफर योग्य हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकरण में एक तरफा हमारे को सुने बिना पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में कार्यवाहीयॉ की जा रही हैं। भूमि पूर्व से कुर्क हो चुकी हैं इसलिए नयी जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। प्रकरण में दोनों पक्षों के साक्ष्य सबूत लिये जाकर ही अंतिम निस्तांरण किया जाना हैं परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में ऐसा कोई न्यायिक कार्यवाही संपादित नहीं की जा रही हैं। जहॉ तक पुनः पत्रावली ट्रान्सफर का जिक हैं। पूर्व में पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व प्रार्थना–पत्र पेश करने पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण को ट्रान्सफर किया था वह पीठासीन अधिकारी एवं वर्तमान पीठासीन अधिकारी भिन्न अधिकारी हैं। हमें अब इस प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं हैं,इसलिए हमारे द्वारा यह प्रार्थना–पत्र पेश गया हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रकरण की सुनवाई हेतु पत्रावली अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल की जावें।

राजपेरोकार का बहस में कथन हैं कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत ही कार्यवाहियां की जा रही हैं। हमनें प्रार्थना–पत्र का पैरा अनुसार जबाब

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

स्वरूप टिप्पणी प्रस्तुत कर दी हैं। हमारे विरूद्व झूठे आरोप लगाये गये हैं,इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं परन्तु फिर भी माननीय न्यायालय इस प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करता हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जायल में विचाराधीन प्रकरण पत्रावली दफा 145 सी.आर.पी. सी. अन्वान सरकार बनाम मोतीसिंह के का0मु0 व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना–पत्र में पत्रावली को मुन्तकिल किये जाने के लिए मुख्य यह आधार दर्ज किया हैं कि अप्रार्थी रामूराम एवं उनके पुत्र को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में आते–जाते देखा हैं तथा यह भी आरोप लगाया हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में उनकी सुनवाई नहीं की जाकर एकतरफा गैर सायल के पक्ष में कार्यवाही की जा रही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं बहस के दौराने प्रार्थी अभिभाषक ने यह भी आसेप लगाया हैं कि पूर्व में भी थानाधिकारी से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट विधि विरूद्व तरीके से मंगवाकर उसकी जानकारी मोतीसिंह के अधिवक्ता को दिये बगैर ही पत्रावली में आदेशिका लिखी गई। जबकि वर्ष 2020 में मंगवाई गई रिपोर्ट पर अप्रार्थी मोतीसिंह द्वारा न्यायालय में पेश की गई आपत्तियों का निस्तारण ही नहीं किया गया एवं आदेश दिनांक 28.03.2025 से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीसिंह वगैरा की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया हैं।

प्रार्थी एवं विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा पेश किये गये इन आधारों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पेश की गई टिप्पणी कार्यालय पत्रांक/100 दिनांक 24.02.2025 के अवलोकन से उसमें यह स्पष्ट लिखा गया हैं कि उनके द्वारा न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष मेरिट के आधार पर पत्रावली में कार्यवाही सम्पन्न की जा रही हैं। प्राप्त टिप्पणी के अवलोकन से भी यही प्रकट होता हैं कि प्रकरण में कार्यवाही दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही हो रही हैं। अब इस प्रकरण में प्रार्थी का यह आरोप हैं कि उनका पूर्व में मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना–पत्र न्यायालय में लंबित रहते हुवे दिनांक 28.03.2025 को उनका प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया हैं। इस सम्बन्ध में हमारा मत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश से अगर प्रार्थी असन्तुष्ट हैं तो इस निर्णय/आदेश की निगरानी/रिवीजन(REVISION) सक्षम न्यायालय में पेश कर सकता हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पर दिये गये निर्णय को इस मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र के जरिऐ चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए प्रार्थी का यह आधार प्रकरण मुन्तकिल के लिए ठोस नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा यह भी आरोप लगाये गये हैं कि उनके अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर ही न्यायालय द्वारा थानाधिकारी से रिपोर्ट मंगवायी जाकर पत्रावली में आदेशिका लिखी गई हैं। इस सम्बन्ध में भी यह स्थिति स्पष्ट की जाती हैं कि न्यायालय की आदेशिका से अगर वह सन्तुष्ठ नहीं थे तो लिखित में न्यायालय के समक्ष एतराज दर्ज करते परन्तु ऐसा कोई एतराज फाईल किया जाना प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक द्वारा इस प्रकरण में पेश नहीं किया हैं। न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली में कार्यवाही दोनों पक्षों के अभिभाषकों की जानकारी में नहीं होना मानने योग्य तथ्य नहीं हैं तथा इस प्रकार के झूठे तथ्य पत्रावली मुन्तकिल के ठोस आधार नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में अप्रार्थी के लड़के का कई बार आने–जाने का तथ्य जरूर दर्ज किया हैं परन्तु कब–कब आते जाते देखा गया के सम्बन्ध में एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह कहना कि अब कोई लड़ाई झगड़ा शेष नहीं हैं तथा जमीन को कुर्क करने का कोई कारण नहीं हैं के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की हैं तथा केवल प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

इस प्रकरण में एक बिन्दू यह भी उल्लेखनीय हैं कि यह प्रकरण पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,लाडनूँ में विचाराधीन था तथा प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल में स्थानान्तरण किया था तथा अब पुनः इस प्रकरण को प्रार्थी अन्यत्र मुन्तकिल करवाना चाहते हैं। इस प्रकार किसी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में बिना किसी ठोस कारण के मुन्तकिल किये जाने पर प्रकरण के अन्य पक्षकारों को अपने प्रकरण की पैरवी हेतु आने–जाने में समय व धन बर्बाद होता हैं इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के संबंध में पर्याप्त ठोस कारण उपलब्ध होने पर ही किंसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई ठोस कारण उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकरण में विद्वान वकील प्रार्थी ने यह भी जाहिर किया हैं कि प्रकरण मूल रूप से तहसील लाडनूँ का हैं जो अब जिला डीडवाना–कुचामन में है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर में हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती हैं पूर्व में तहसील लाडनूँ जिला नागौर के अधीन ही थी तथा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर ही उपखण्ड अधिकारी,जायल के न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया गया था। अगर अन्य जिले में यह पत्रावली प्रार्थी मुन्तकिल करवाना चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी स्वतन्त्र हैं,इस न्यायालय से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर